

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 572]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2010—कार्तिक 8, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-10-05-2009-एक-4.—श्री चम्मालाल कुशवाह, आयु 33 वर्ष, निवासी मु.पो. हिरनखेड़ा, तहसील सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद को सामाजिक चेतना एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 2007 का “शंकराचार्य” राज्य सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है.

2. श्री सोमेश कुमार राठौर, आयु 32 वर्ष, मेन रोड सराफा चौक, गणेशगंज होशंगाबाद को संकटग्रस्त व्यक्तियों की मानवीय सेवाओं के लिए वर्ष 2007 का “गुरूनानक” राज्य सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है.
3. श्री अभिनेश रावत, आयु 31 वर्ष, निवासी टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, गुप्ता नर्सिंग होम के पास, सदर बाजार, होशंगाबाद को ग्रामीण विकास क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए वर्ष 2007 का “कबीर” राज्य सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है.
4. श्री कपिल देव प्रजापति, आयु 30 वर्ष, निवासी मकान क्र. 518, वार्ड नं. 14, प्रेमनगर पाथाखेड़ा, जिला बैतूल को सामाजिक चेतना, ग्रामीण विकास/संकटग्रस्त व्यक्तियों की मानवीय सेवाओं के लिए वर्ष 2007 का “गौतमबुद्ध” राज्य सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है.
5. श्री गजेन्द्र सिंह नारंग, आयु 34 वर्ष, निवासी 25, आदित्य नगर, विष्णुपुरी के पास इन्दौर को सामाजिक चेतना, ग्रामीण विकास क्षेत्र में किये गये कार्यों के लिये 2007 का “रहीम” राज्य सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है.
6. श्री आत्मप्रकाश चतुर्वेदी, आयु 29 वर्ष, निवासी गली नं. 03, घवारी सतना, मध्यप्रदेश को पर्यावरण संरक्षण तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 2008 का “गौतमबुद्ध” राज्य सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है.

7. श्री शेख रियाजुद्दीन पटेल, आयु 27 वर्ष, 20/1 प्रिन्स यशवंत रोड, इन्दौर को सामाजिक चेतना एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र में किये गये कार्यों के लिये 2008 का "कबीर" राज्य सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है.
8. श्रीमती दीप्ति पटवा, आयु 29 वर्ष, निवासी एम-39, मनीषा मार्केट, शाहपुरा भोपाल को महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण एवं विकास हेतु किये गये कार्यों के लिए वर्ष 2008 का "गुरूनानक" राज्य सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है.

(2) राज्य शासन द्वारा उपरोक्त 08 व्यक्तियों का उनके नाम के सम्मुख अंकित सम्मान के साथ पुरस्कार राशि रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार) प्रत्येक को प्रदान करने की घोषणा की जाती है.

(3) पुरस्कार का वितरण जिला स्तर पर आयोजित होने वाले कौमी एकता सप्ताह कार्यक्रम में किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव.